रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042025-262510 CG-DL-E-17042025-262510

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1733] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947 No. 1733] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

का.आ. 1766(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश पारित करती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम परिष्कृत निकल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 है।
- (2) यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास से प्रवृत्त होगा।
- 2. लागू होना.- यह आदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के संबंध में लागू होगा, लेकिन निर्यात के लिए निमित्त माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 3. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.- सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगी तथा भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- **4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण**.- भारतीय मानक ब्यूरो उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

2584 GI/2025 (1)

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
परिष्कृत निकल	आईएस 2782:2023	परिष्कृत निकल - विनिर्देश

टिप्पण.- उपर्युक्त सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

> [फ़ा. सं. 02/9/2025-ईएस] शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF MINES ORDER

New Delhi, the 17th April, 2025

- **S.O. 1766(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely: -
- **1. Short title and commencement.-** (1) This Order may be called the Refined Nickel (Quality Control) Order, 2025.
 - (2) This Order shall come into force with effect from six months from the date of publication of this notification.
- **2. Application.-** This Order shall apply in relation to goods or article specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to goods or article meant for export.
- **3.** Compulsory use of Standard Mark.- The goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **4. Certification and enforcement authority.-** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (1) of the said Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Refined Nickel	IS 2782:2023	Refined Nickel - Specification

Note.- For the purposes of the above Table, the latest version for Indian Standards, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply from the date of such notification.

[F. No. 02/9/2025-ES] SHAKIL ALAM, Economic Advisor